FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

भंवरलाल पिता देवीलाल ढोली वगैरा नि. नाहरी बनाम वंशीलाल पिता अम्बालाल ढोली नि.नाहरी

किस्म मुकदमा धारा 212 आर.टी.एक्ट. मु०नं० 43 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	
दिनांक– 14/07/2021	प्रार्थी भंवरलाल पिता देवीलाल ढोली वगैरा नि. नाहरी जरिये अधिवक्ता श्री फारूख मोहम्मद द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण व विपक्षी के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1777 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0 गेमुआचा, आराजी संख्या 1831 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1845 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 693 रकबा 2.16 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.02 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 369 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त अपने निहित हिस्से का मौके पर कब्जे अनुसार एवं भूमि की किस्म के आधार पर विभाजन करवा अपने हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता खुलवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने विपक्षी को कई बार सहमति से विभाजन करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षी व उसके पुत्र ने प्रार्थीगण को डराया धमकाया और कहा कि तुम्हार इस जमीन में कोई हक एवं अधिकार नही है। विपक्षी जबरन लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुआ। भूमियां सामलाती होने पर भी आराजी संख्या 396 रकबा 2.16 है0 भूमि में बिना विभाजन करवाये हुए ही अवैध खनन कार्य करने लग गया। प्रार्थीगण ने मना किया लेकिन विपक्षी नही मान रहा है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होने से एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आकलन नकदी में नही किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस आशय कह जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में किसी प्रकार का खनन [illegible] स्वयं करे, न अन्य से करावें। वाद वर्णित भूमियां को वि[illegible] को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे [illegible] को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी एवं बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है विपक्षी द्वारा बिना विभाजन कराये कृषि भूमि में खनन कार्य कराया जाना अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया, जबकि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:11 IST
Reason: SelfAttested

	कृषि भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा होना अकिंत किया है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं प्रार्थीगण को अगर मौके से बेदखल कर दिया एवं प्रार्थी के हिस्से की भूमि में खनन कार्य करने से प्रार्थीगण को अपुर्णीय क्षति होने की संभावना है ऐसी स्थिति में बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण व विपक्षी के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1777 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0 गेमुआचा, आराजी संख्या 1831 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1845 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 693 रकबा 2.16 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.02 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 369 पर दर्ज रेकार्ड है। में विपक्षीगण में किसी प्रकार का खनन बिना विभाजन कराये न तो स्वयं करे, न अन्य से करावें। वाद वर्णित भूमियां को किसी अन्य को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करें। प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। विपक्षीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षीगण दिनांक 10.08.2021 को पेश हों। [signature] 14.07.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर
10/8/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी सं. 1 की ओर से अभिभाषक पत्र अधिवक्ता [illegible] पेश किया जो मूल पत्रावली में शामिल है। पत्रावली वास्ते जवाब के लिये एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब के लिये 25/8/21 को पेश हो। [signature]
25/8/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] है। पत्रावली [illegible] में अस्थाई [illegible] तारीख पेशी तक बढ़ाई [illegible] जवाब के लिये 8/10/21 को पेश हो। [signature]
8/10/21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उपस्थित है। दोनों पक्षों की सहमति से मूल वाद के लिये

[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया जिसमें उभय पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम नाहली आ.नं. 1777 से 1779 तक एवं 1831, 1845, 693 कुल किता 6 कुल रकबा 3.02 है. भूमि के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। पत्रावली [illegible] हेतु नत्थी मिसल हो। (हस्ताक्षर) 08.10.2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)। (मुहर: उपखण्ड अधिकारी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:11 IST
Reason: SelfAttested